# पंचदश

# बिहार विधान-सभा

## चतुर्दश सत्र

## अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि $\frac{\text{16 आषाढ़ 1936 (श0)}}{\text{7 जुलाई, 2014 (ई0)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 02

| | |
|---|---|
| (1) सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग .. .. .. | 01 |
| (2) वित्त विभाग .. .. .. | 01 |
| कुल योग — | 02 |

खर्च का औचित्य

'क'–2. श्री (डॉ0) इजहार अहमद—स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार–पत्र में दिनाक 11 मार्च, 2014 को प्रकाशित शीर्षक "कम्पनियाँ आई नहीं, किराये पर खर्च कर दिये 20 करोड़ रुपये" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला में 12 साल पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना कर दी गई तथा दो फेज में बिस्कोमान भवन के छः फ्लोर किराये पर लेकर पार्क की शुरूआत की गई, जहाँ राज्य के बाहर की कम्पनियाँ नहीं आई और न ही प्रदेश की कम्पनियों का विकास हो सका और तीन फ्लोर आजतक खाली ही पड़ा रह गया तथा 20 करोड़ रुपये किराये पर खर्च हो चुका है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो 20 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने का क्या औचित्य है ?

---

वेतन निर्धारण करना

13. श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग के संकल्प सं0 630, दिनांक 21 जनवरी, 2010 की अनुसूची–II में बिहार राज्य में 1 जनवरी, 2006 के बाद सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सहायकों के प्रारंभिक मूल वेतन 17,140 रु0 निर्धारित किया गया है, जबकि नीचे के पद से प्रोन्नत अथवा उत्क्रमण द्वारा नियुक्त सहायकों को उनसे कम वेतन यथा 13,900 रु0 का वेतन निर्धारित किया जाता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त निर्धारण में प्रोन्नत/उत्क्रमित सहायकों की सीधी नियुक्त सहायकों से वरीय होने के बावजूद वेतन निर्धारण कम होता है, जिससे वेतन विसंगति उत्पन्न हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रोन्नति अथवा उत्क्रमण से सहायक के पद पर नियुक्त सहायकों का भी प्रारंभिक मूल वेतन सीधी नियुक्ति से नियुक्त सहायकों के समान न्यूनतम वेतन 17,140 रु0 निर्धारित करने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

---

पटना :
दिनांक 7 जुलाई, 2014 (ई0)।

हरे राम मुखिया,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान–सभा।

---

नोट—'क' दिनांक 1 जुलाई, 2014 को सदन द्वारा सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग को स्थानांतरित।

---

बि0स0मु0 (एल0ए0), 49—डी0टी0पी0—450